



No.AAI/RHQ/WR/DoAS/Auth./SNCR/WEST/B/072319/417922/63 Date : 07/07/2022

Neelkanth Dhara Co-op Housing Society Ltd.
Plot No.60,61,62, 90ft Road, Ghatkopar (E),
Mumbai 400 077

संशोधित / Revised NOC

ऊंचाई की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र / NO OBJECTION CERTIFICATE FOR HEIGHT CLEARANCE

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा सुरक्षित और नियमित विमान प्रचालन के लिए भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) के आदेश जीएसआर 751 (ई) दिनांक 30 सितंबर, 2015 यथासंशोधित जीएसआर 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर, 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त उत्तरदायित्व के अनुसरण में जारी किया जाता है।

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India [Ministry of Civil Aviation] order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 amended by GSR770 (E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2. इस कार्यालय को निम्नलिखित ब्योरे के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है:-
This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:-

NOC ID	SNCR/WEST/B/072319/417922
Appellant Letter	Letter No.NIL dated 02/11/2020
Owner/Appellant Name*	Neelkanth Dhara Co-op Housing Society Ltd.
Type Of Structure*	Building
Site Address*	CTS No. 195/91, 195/96 and 195/104, Plot No.60, 61, 62 of Village Ghatkopar (E), Mumbai 400 077
Site Coordinates*	19 04 35.78 N 72 54 33.21 E 19 04 34.94 N 72 54 33.99 E 19 04 33.76 N 72 54 32.59 E 19 04 34.38 N 72 54 32.00 E
Permissible Top Elevation (P.T.E.) Above Mean Sea Level (AMSL)	70.00 meter (Seventy Decimal Zero Zero meter)

*आवेदक द्वारा उपलब्ध किए गए विवरण / Details as provided by the applicant:

3. यह एनओसी नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन है।

This NOC is subject to the terms and conditions as given below:-

- (a.) परमिशिबल टॉप एलिवेशन आवेदक द्वारा प्रस्तुत साइट एलिवेशन के आधार पर जारी किया गया है। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साइट निर्देशांक और साइट एलिवेशन की शुद्धता की लिए भाविप्रा जिम्मेदार नहीं है और न ही इसे प्रमाणित करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि वास्तविक डेटा अलग है, यह एनओसी अमान्य हो जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित हवाईअड्डे के कार्यालय प्रभारी "एयरक्राफ्ट (डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन काउण्ड बाय बिल्डिंग्स एंड ट्रीज ईटीसी) रूल्स 1994" के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

Permissible top elevation has been issued on the basis of Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the "Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules 1994"

- (b.) संरचना की ऊंचाई (किसी भी असंसंरचना सहित) की गणना AMSL में परमिशिबल टॉप एलिवेशन से AMSL में साइट एलिवेशन को घटाकर की जाएगी अर्थात् अधिकतम संरचना की ऊंचाई = परमिशिबल टॉप एलिवेशन (-) साइट एलिवेशन।

The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.



गिरिश श्रीवास्तव / GIRISH SRIVASTAV
संयुक्त महाप्रबंधक (ए.टी.एम.-डी.ओ.ए.एस.) प.क्ष.
Jt. General Manager (ATM-DOAS) W.R.
एरोड्रम सुरक्षा विभाग/Dept. of Aerodrome Safeguarding
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
मुंबई - 400 099. / Mumbai -400 099.

1 of 4

No.AAI/RHQ/WR/DoAS/Auth./SNCR/WEST/B/072319/417922 /62 Date : 07/07/2022

- (c.) 'एनओसी' जारी करना भारतीय वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 9-ए के प्रावधानों और एयरक्राफ्ट (डिमोलिशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन काउण्ड बाय बिल्डिंग्स एंड ट्रीज ईटीसी) रूल्स 1994 सहित समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अधीन है।

The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and trees etc) Rules, 1994.

- (d.) कोई भी रेडियो / टीवी एंटीना, लाइटिंग अरेस्टर, सीढ़ियां, मम्टी, ओवरहेड वॉटर टैंक और किसी भी तरह के फिक्स्चर को उक्त पैरा-2 में दर्शाए गए परमिषिबल टॉप एलिवेशन से ऊपर नहीं दिखाया जाएगा।

No radio / TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead Water tank and attachment of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation indicated in para 2 above.

- (e.) एयरोड्रम रेफरेंस पॉइंट के 8 किमी के भीतर केवल तेल से चलने वाली या बिजली से चलने वाली भट्टी का उपयोग ही करना है।

Only use of oil fired or electric fired furnace is mandatory within 8 KM of the Aerodrome Reference point.

- (f.) प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए मान्य है। एक बार रिवैलिडेशन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसा अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा और प्रारंभिक प्रमाण पत्र 8 साल की शुरुआती वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाएगा।

The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

- (g.) इमारत के निर्माण के दौरान या बाद में कभी भी, कोई प्रकाश या प्रकाश का संयोजन, जो इसकी तीव्रता, विन्यास या रंग के कारण हवाई अड्डे की वैमानिकी ग्राउंड लाइट के साथ भ्रम पैदा कर सकता है, साइट पर किसी भी समय स्थापित नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो उड़ानों के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित कर सकती है।

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

- (h.) हवाई अड्डे पर या आसपास के क्षेत्र में विमान प्रचालन के कारण विमान के शोर, कंपन, क्षति आदि के खिलाफ आवेदक शिकायत / मुआवजे का दावा नहीं करेगा।

The applicant will not complain / claim compensation against aircraft noise, vibration, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

- (i.) डीजीसीए इंडिया की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध नागर विमानन आवश्यकता श्रृंखला 'बी' भाग 1 खंड 4 के अध्याय 6 और परिशिष्ट 6 में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार द्वितीयक विद्युत आपूर्ति के साथ डे मार्किंग और रात्रि प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part 1 Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in.

- (j.) आवेदक भवन योजनाओं के अनुमोदन सहित संबंधित प्राधिकारियों से अन्य सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऊंचाई संबंधी स्वीकृतियों के लिए यह एनओसी सुरक्षित और नियमित विमान प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य / दावे के लिए दस्तावेज के रूप में नहीं किया जाएगा, जिसमें भूमि का स्वामित्व आदि शामिल है।

The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

2/7/22



: 3 :

No.AAI/RHQ/WR/DoAS/Auth./SNCR/WEST/B/072319/417922 ¹⁶³ Date : 07/07/2022

- (k.) यह एनओसी सिविल हवाईअड्डों के संबंध में जारी किया गया है। आवेदक को डिफेंस से अलग एनओसी लेने की आवश्यकता है, अगर साइट उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर है।
This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defense, if the site lies within jurisdiction.
- (l.) एनओसी पत्र की किसी भी विसंगति / व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- (m.) साइट एलिवेशन और / या AGL ऊंचाई के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, AMSL में टॉप एलिवेशन प्रभावी होगा।
In case of any dispute w.r.t. site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.
- (n.) यह एनओसी भाविप्रा-निगमित मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र संख्या एटीएम-16019/34/2021-एटीएम-डीओएस दिनांक 06/07/2022 के अनुसार जारी किया गया है।
This NOC issued as per AAI-CHQ New Delhi letter No.ATM-16019/34/2021-ATM-DoAS dated 06/07/2022.
4. यह प्रमाणन 26/05/2022 को आयोजित बैठक में नागर विमानन मंत्रालय की अपीलिय समिति के अनुमोदन के अनुसार जारी किया गया है।
This authorization is issued as per the approval of the Appellate Committee of Ministry of civil Aviation in its meeting held on 26/05/2022.
5. इस पत्र द्वारा अधिकृत की जा रही परमिशिबल टॉप एलिवेशन (पी.टी.ई.) ऊपर उल्लिखित साइट निर्देशांक तक ही सीमित है।
The permissible top elevation (P.T.E.) being authorized vide this letter is restricted to the site coordinates mentioned above.
6. वैमानिकी अध्ययन के माध्यम से परमिशिबल टॉप एलिवेशन (पी.टी.ई.) को मंजूरी दी गई है और इसलिए यह किसी भी अन्य संरचनाओं को परिरक्षण लाभ नहीं देगा।
The permissible top elevation (P.T.E.) has been cleared through Aeronautical Study and therefore it shall not give shielding benefit to any other structures.
7. उप पैरा (ए), (बी) और (सी) के अंतर्गत उल्लिखित शमन उपाय निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाया जाएगा।
The mitigation measures as mentioned under sub para (a), (b) & (c) shall be adopted to fulfil the requirements of,
- i. संभावित खतरनाक स्थिति के बारे में पायलट को जागरूक करने की आवश्यकता है; तथा
A pilot's need to be made aware of potentially hazardous condition; and
- ii. मानकों से विचलन को प्रकाशित करना राज्य का दायित्व है, अन्यथा लाइसेंसिंग स्टेटस के तहत मान लिया जाएगा।
The responsibility of the state to publish deviations from standards that would otherwise be assumed under licensing status.
- a) उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए, बाधा सीमा सहित इस क्षेत्र में इसके प्रदेश से पहले एयरपोर्ट ऑपरेटर, को बाधा को प्रकाश में लाना चाहिए। तदनुसार यह आवेदक/मालिक की जिम्मेदारी है कि वह एयरपोर्ट ऑपरेटर / विमानपत्तन निदेशक को सूचित करें।
The Airport Operator should publish the obstacle, to fulfil the above requirement, before its penetration of the Obstacle Limitation Surface. It is the responsibility of the applicant/owner to notify the Airport Operator/Airport Director accordingly.

No.AAI/RHQ/WR/DoAS/Auth./JUHU/WEST/B/042021/541641

63 Date : 07/07/2022

- b) डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकता श्रृंखला बी भाग-I खंड 4 में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक/मालिक द्वारा डे मार्किंग और रात्रि प्रकाश व्यवस्था एयरपोर्ट ऑपरेटर / विमानपत्तन निदेशक के समन्वय और सहमति के साथ प्रदान की जाएगी।

The day marking and night lighting shall be provided by the applicant/owner as per the guidelines specified in DGCA Civil Aviation Requirement Series B Part-I Section 4, in Co-ordination with and to the satisfaction of the Airport Operator/Airport Director.

- c) क्रेन जैसी कोई भी अस्थायी संरचना, जिसका इस्तेमाल निर्माण के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, एयरपोर्ट ऑपरेटर / विमानपत्तन निदेशक की लिखित अनुमति के बिना परमिशिबल टॉप एलिवेशन से अधिक नहीं होना चाहिए।

Any Temporary structure such as crane, being used for the purpose of construction should not exceed the permissible top elevation without the written permission of the Airport Operator/Airport Director.

अध्यक्ष एनओसी समिति के लिए / For Chairman NOC Committee
क्षेत्र का नाम / Region Name : पश्चिम / WEST

पता / Address:

महाप्रबंधक / General Manager
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिमी क्षेत्र / Regional Head Quarter, Western Region
पारसीवाड़ा, सहार रोड, / Opp. Parsiwada, Sahar Road,
विले पार्ले (पूर्व), मुंबई / Vile Parle (E), Mumbai
ईमेल / Email ID: gmatmwr@aai.aero
संपर्क / Contact No, 022-29277 562

भवदीय / Your's faithfully,

गिरिश श्रीवास्तव
7/7/2022

गिरिश श्रीवास्तव / GIRISH SRIVASTAV
संयुक्त महाप्रबंधक (ए.टी.एम.-डी.ओ.ए.एस.) प.क्ष.
Jt. General Manager (ATM-DOAS) W.R.
एरोड्रम सुरक्षा विभाग/Deptt. of Aerodrome Safeguarding
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India
मुंबई - 400 099. / Mumbai -400 099.

1. The Executive Director(ATM),AAI, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi - 110 003.
2. The Executive Vice President (Ops), Mumbai International Airport Pvt Ltd, CSI Airport, 1st floor, Terminal 1B, Santacruz (E), Mumbai 99.
3. The Dy. Chief Engineer, (Eastern Suburb), Building Proposal Department, Municipal Corporation of Greater Mumbai, Raj Regency, Paper Mill Compound, Surya Nagar, Vikhroli (W), Mumbai 400 083.
4. The Jt. GM (Vigilance),WR

Prepared by
तैयार कर्ता

Sadanand B. Sawant
07/07/2022

सदानंद भि. सावंत / Sadanand B. Sawant,
वरिष्ठ अधीक्षक, (एचआर)- /Sr.Suptd.(HR)

Verified by
द्वारा सत्यापित

Sangeeta S. Paunekar
07/7/2022

संगिता एस. पौनिकार / Sangeeta S. Paunekar
समप्र (एटीएम- DoAS) पक्ष/AGM (ATM-DoAS)WR,
हवाईअड्डा सुरक्षा विभाग / Dept. of Aerodrome Safeguarding

नोट: एनओसी पत्र में कोई भी विसंगति होने पर, आवेदक इस पत्र के जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित कर सकता है।

Note: In case of any discrepancy in NOC letter, applicant may intimate to this office within 30 days after issuance of this letter.